न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.–....16..../2024

सन्तलाल मोची पुत्र गोपाल जाति मोची निवासी ग्राम मिखाला तहसील तारानगर जिला चूरू।
– प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक .....12/01/24.......

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम षि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खसरा नं. 458 तादादी 5.3235 हेक्टेयर, खसरा 497 तादादी 9.3826 हेक्टेयर कुल तादादी 14.7061 हेक्टेयर व रोही मौजा मिखाला के खसरा नं. तादादी 4.3499 हेक्टेयर, खसरा नं. 370 तादादी 5.4879 हेक्टेयर, खसरा नं. 1026/240 तादादी 749 हेक्टेयर, खसरा नं. 686/246 तादादी 2.4026 हेक्टेयर, खसरा नं. 693/687 तादादी 495 हेक्टेयर, खसरा नं. 638/189 तादादी 5.7155 हेक्टेयर तथा रोही मौजा घासला आथूना के सरा नं. 108 तादादी 0.8725 हेक्टेयर, खसरा नं. 119 तादादी 1.5933 हेक्टेयर, खसरा नं. 106 दादी 3.4015 हेक्टेयर हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सतराम/सन्तलाल/सन्तराम/सन्तूराम/सन्तुराम गोपालराम अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम सन्तलाल मोची पुत्र गोपाल सही हैं। र्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सन्तलाल ची पुत्र गोपाल है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में फी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना हता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से र कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर के खसरा नं. 458 तादादी 5.3235 टेयर, खसरा नं. 497 तादादी 9.3826 हेक्टेयर कुल तादादी 14.7061 हेक्टेयर व रोही मौजा मिखाला खसरा नं. 164 तादादी 4.3499 हेक्टेयर, खसरा नं. 370 तादादी 5.4879 हेक्टेयर, खसरा नं. 6/240 तादादी 2.1749 हेक्टेयर, खसरा नं. 686/246 तादादी 2.4026 हेक्टेयर, खसरा नं. /687 तादादी 1.0495 हेक्टेयर, खसरा नं. 638/189 तादादी 5.7155 हेक्टेयर तथा रोही मौजा सला आथूना के खसरा नं. 108 तादादी 0.8725 हेक्टेयर, खसरा नं. 119 तादादी 1.5933 हेक्टेयर, सरा नं. 106 तादादी 3.4015 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम सन्तलाल मोची पुत्र गोपाल किये जाने का देश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थन । में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.नि. बुचावास के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना ना रूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम सन्तलाल मोची पुत्र गोपाल करवाना चाहता है। ाज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सतराम/सन्तलाल/सन्तराम/सन्तूराम/सन्तुराम त्र गोपालराम ही दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम सन्तलाल मोची पुत्र गोपाल दुरूस्त किया जाकर ाजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)